

143

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 172/2026

सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय ब्लॉक नं० ए/1003, पश्चिम द्वार, वाईएमसीए क्लब के पास, सर्वे नं० 8315/13, एस०जी० हाईवे, मकराबा, अहमदाबाद, गुजरात।

— प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री गोपाल कृष्ण पुत्र श्री नरसा राम,
पता 1- निवासी वार्ड नं० 11, कानाका वाली ढाणी, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं
(राज०), पिन कोड 333042
पता 2- निवासी पट्टा नं० 19, ग्राम पंचायत ढाणियां, पंचायत समिति नवलगढ, जिला झुंझुनूं,
(राज०), पिन कोड 333042
2. श्री महेन्द्र सैनी पुत्र श्री गोपाल कृष्ण,
पता- निवासी वार्ड नं० 11, कानाका वाली ढाणी, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं
(राज०), पिन कोड 333042
3. श्रीमती बाली देवी पत्नि श्री गोपाल कृष्ण,
पता- निवासी वार्ड नं० 11, कानाका वाली ढाणी, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं
(राज०), पिन कोड 333042
4. श्री शशिकान्त पुत्र श्री गोपाल कृष्ण,
पता- निवासी वार्ड नं० 11, कानाका वाली ढाणी, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं
(राज०), पिन कोड 333042
5. श्री बुधराम सैनी पुत्र श्री गोपाल कृष्ण,
पता- निवासी वार्ड नं० 11, कानाका वाली ढाणी, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं
(राज०), पिन कोड 333042
6. श्री राहुल सैनी पुत्र श्री विष्णु सैनी,
पता- निवासी वार्ड नं० 1, मण्डावा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज०), पिन कोड 333042

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिविलरिटिडिजेशन एक्ट बाबत सम्पत्ति पट्टा नं० 19, ग्राम पंचायत ढाणियां, पंचायत समिति नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज०) कुल क्षेत्रफल 285.14 वर्ग गज, ऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का भैतिक कब्जा लेकर कम्पनी को दिलवाये जाने हेतु।

उपस्थित:-

एडवोकट श्री सुनील कुमार पारीक- प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 04.05.2026

प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इण्डिया फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड/लक्ष्मी इंडिया फिनलीज कैप प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने अप्रार्थीगण के द्वारा लोन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ऋण राशि कुल 6,00,000/- रुपये दिनांक 30.12.2022 को स्वीकृत की गई थी तथा ऋण अनुबंध संख्या P14883 दिनांकित 31.10.2022 निष्पादित किया गया। ऋण की सिविलरिटिडी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सम्पत्ति पट्टा नं० 19, ग्राम पंचायत ढाणियां, पंचायत समिति नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज०) 285.15 वर्गगज को लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इण्डिया फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड/लक्ष्मी इंडिया फिनलीज कैप प्राईवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के यहां मोरगेज किया गया। प्रार्थी कम्पनी व लक्ष्मी इंडिया फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इण्डिया

जिला कलक्टर झुंझुनूं

फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड/लक्ष्मी इंडिया फिनलीज कैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के मध्य दिनांक 29.03.2025 को असाइनमेंट एग्रीमेंट निष्पादित हुआ था। असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार मूल ऋण दाता लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में लक्ष्मी इण्डिया फाईनेंस प्राइवेट लिमिटेड/लक्ष्मी इंडिया फिनलीज कैप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने ऋण ललेने वालों की वित्तीय सम्पतियों को, सभी अधिकारों स्वामित्व और हितों सहित अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ अपरिवर्तनीय रूप से प्रार्थी कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरित और असाइन कर दिया है। परिणामस्वरूप सरफेसी एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थी कम्पनी ऋण लेने वाले का सुरक्षित लेनदार बन गया है और प्रार्थी कंपनी अपने नाम से वसूली कार्यवाही करने और ऋण लेने वालों/गारंटर्स/गिरवीदारों से बकाया राशि वसूल करने का हकदार है। ऋण खाते को प्रार्थी को हस्तान्तरित करने की सूचना अप्रार्थीगण को दी गई। असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से प्रार्थी कंपनी को ऋण हस्तान्तरित किए जाने के बाद प्रार्थी कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त खाते को दिनांक 30.04.2025 को विधि अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। ऋण खाते को एनपीए वर्गीकृत करने के उपरान्त विधि अनुसार अप्रार्थीगण को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 30.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 10.10.2025 को अप्रार्थीगण के ज्ञात पतों पर नोटिस प्रेषित किये गये, जिसकी रजिस्टर्ड डाक प्रेषित रसीद पत्रावली के साथ संलग्न है। प्रार्थी कंपनी द्वारा नोटिस प्रेषित कर अप्रार्थीगण से दिनांक 31.08.2025 तक कुल बकाया राशि 5,56,794/-रुपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त की बकाया राशि में ब्याज की मांग की गई तथा उक्त राशि को नोटिस प्राप्ति के साथ दिवस के अन्दर भुगतान करने हेतु कहा गया। परंतु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। प्रार्थी कम्पनी के द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधि अनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण की सम्पत्ति की सम्पत्ति - सम्पत्ति मालिक- गोपाल कृष्ण सैनी पुत्र श्री नरसाराम, सम्पत्ति- पट्टा नं0 19, ग्राम पंचायत ढाणियां, पंचायत समिति नवलगढ जिला झुंझुनू राजस्थान जिसकी चतुर्थ सीमायें इस प्रकार है:- उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में बंशीधर पुत्र भगवानाराम की जमीन, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में नन्दलाल पुत्र खीवाराम का मकान, का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ताकि प्रार्थी कम्पनी उक्त सम्पत्ति को विधि अनुसार निलाम कर अपनी ऋण राशि वसूल कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा संबंधित पुलिस थाना को निर्देशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति (सम्पत्ति का विवरण - सम्पत्ति मालिक- गोपाल कृष्ण सैनी पुत्र श्री नरसाराम, सम्पत्ति- पट्टा नं0 19, ग्राम पंचायत ढाणियां, पंचायत समिति नवलगढ जिला झुंझुनू राजस्थान), का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि को शांतिपूर्वक रूप से दिलवाये एवं यदि उक्त सम्पत्ति बंद पाई जाती है तो उक्त सम्पत्ति के ताले तोड़कर उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उचित समझे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का ऋण नहीं चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कम्पनी को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

हमने प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सम्पत्ति मालिक गोपाल कृष्ण सैनी पुत्र श्री नरसाराम, सम्पत्ति- पट्टा नं0 19, ग्राम पंचायत ढाणियां, पंचायत समिति नवलगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान जिसकी चतुर्थ सीमायें इस प्रकार है:- उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में बंशीधर पुत्र भगवानाराम की जमीन, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में नन्दलाल पुत्र खींवाराम का मकान है का पजेशन प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी सीएफएम रिकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० अरुण गर्ग)
 जिला कलक्टर झुंझुनूं
 जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं